

प्रेस नोट थाना उरुवा बाजार जनपद गोरखपुर दिनांक 24.08.2024

धोखाधड़ी कर सरकारी अस्पताल की दवाओं को विक्रय करने के आरोप में 01 नफर अभियुक्ता गिरफ्तार

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद गोरखपुर द्वारा अपराधों पर अंकुश लगाने एवं अपराधियों की गिरफ्तारी हेतु चलाए जा रहे अभियान के क्रम में, पुलिस अधीक्षक दक्षिणी के मार्गदर्शन में, क्षेत्राधिकारी गोला के पर्यवेक्षण में प्रभारी निरीक्षक उरुवा बाजार के नेतृत्व में थाना स्थानीय पर पंजीकृत मु0अ0सं0 151/2023 धारा 411/420/120बी भा0द0सं0 व 18ए/28 औषधि एवं प्रसाधन सामग्री अधिनियम 1940 एवं 15(3) इंडियन मेडिकल काउंसिल एक्ट से संबधित वाछित अभियुक्ता रीना देवी पत्नी मनोज कुमार निवासी ग्राम गौवापार थाना उभाव जनपद बलिया हालपात प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र उरुवा बाजार जनपद गोरखपुर को गिरफ्तार किया गया। अग्रिम विधिक कार्यवाही की जा रही है।

घटना का संक्षिप्त विवरण- अभियुक्ता सरकारी अस्पताल में एएनएम है जहां से सरकार द्वारा मुफ्त में वितरित की जा रही दवाओं को दुकान के माध्यम से विक्रय कराने के संबंध में दिनांक 30.06.2023 को अभियोग उपरोक्त पंजीकृत किया गया था।

गिरफ्तार अभियुक्ता का नाम पता-

रीना देवी पत्नी मनोज कुमार निवासी ग्राम गौवापार थाना उभाव जनपद बलिया हालपात प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र उरुवा बाजार जनपद गोरखपुर

गिरफ्तारी के अभियोग का विवरण-

मु0अ0सं0 151/2023 धारा 411/420/120बी भा0द0सं0 व 18ए/28 औषधि एवं प्रसाधन सामग्री अधिनियम 1940 एवं 15(3) इंडियन मेडिकल काउंसिल एक्ट थाना उरुवा बाजार गोरखपुर।

गिरफ्तार की टीम-

- 1.उ0नि0 राम प्रवेश थाना उरुवा बाजार, गोरखपुर
- 2.कां0 अग्निवेश कुमार थाना उरुवा बाजार, गोरखपुर
- 3.म0कां0 प्रिया सिंह थाना उरुवा बाजार, गोरखपुर